केंद्रीय विद्यालय संगठन

(पेंशन एवं बीमा अनुभाग)

एफ.**1-4 (01)/2002/**केविसं-जीआईएस/मुख्या/पी व आई दिनांक **: - 01.03.2002**

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी कल्याण योजना।

1. परिचय:

संगठन के कर्मचारियों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और साथ-साथ सेवानिवृत्ति के समय उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए केविसं समय –समय पर समूह बीमा योजना चला रहा है। वर्तमान समूह बचत लिंक्ड बीमा योजना एलआईसी के माध्यम से 1993 में शुरू की गई थी। पेंशन व भविष्य निधि के विकेंद्रीकरण के उपरांत, यह महसूस किया गया कि यद्यपि संगठन उनके पेंशन संबंधी उत्तरदायित्वों को समय पर पूर्ण करने में समर्थ है परंतु जीवन बीमा कम्पनी द्वारा मामलों के निपटान में देरी के कारण समूह बीमा योजना के संबंध में यह संभव नहीं है। मृत्यु संबंधी मामलों में भी देरी के कारण बीमा संबंधी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए एक अप्रैल, 2002 से एक नई योजना, 'केविसं कर्मचारी कल्याण योजना' शुरू की गई। यह योजना एक पूरी तरह अंशदायी और स्व-वित्त के आधार पर बहुत ही कम शुल्क पर केविसं कर्मचारियों को उपलब्ध है। इस योजना में दोहरे कल्याणकारी लाभ उपलब्ध हैं अर्थात कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर परिवार को और सेवा में रहने पर सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र इत्यादि पर एक मुश्त भुगतान की सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभ सीजीईजीआईएस 1980 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रदत्त लाभ के साथ समान हैं।

2. अनुप्रयोग :

01.01.1993 को केविसं के सभी नियमित कर्मचारी और उसके बाद केविसं से जुड़ने वाले/ जुड़ रहे सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस योजना में कवर किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को हर वर्ष 1 जनवरी से ही इस योजना के सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी संगठन की सेवा में किसी भी वर्ष में 2 जनवरी या बाद में प्रवेश करता है, तो वह अगले वर्ष की 1 जनवरी से ही एक सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा। नियुक्ति की वास्तविक तिथि से 31 दिसंबर तक कर्मचारी केवल कल्याण लाभांश प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

3. मासिक अंशदान और कल्याण लाभांश की राशि:-

इस योजना के लिए मासिक अंशदान और कल्याण लाभांश की राशि इस प्रकार होगी:-

जिस समूह के अंतर्गत आते हैं	मासिक अंशदान की दर	कर्मचारी कल्याण लाभांश की राशि
'ए'	**120**	**1,20,000.00**
'बी'	**60**	**60,000.00**
'सी'	**30**	**30,000.00**
'डी'	**15**	**15,000.00**

4. वर्ष के दौरान पदोन्नति और मासिक शुल्क की वसूली :-

किसी भी वर्ष में एक जनवरी के बाद किसी कर्मचारी को पदोन्नति मिलने पर उस कर्मचारी का मासिक अंशदान अगले वर्ष की एक जनवरी से बढ़ाया जाएगा। उदाहरण स्वरूप अगर किसी 'सी' वर्ग के कर्मचारी की पदोन्नति वर्ष के मार्च माह में 'बी' वर्ग में हो जाती है तो दिसम्बर तक क्रमशः उस कर्मचारी का मासिक अंशदान रू. 30/- प्रति माह और कल्याण लाभांश की राशि रू. 30,000/- होगी और अगले वर्ष जनवरी से मासिक अंशदान रू. 60/- प्रति माह और कल्याण लाभांश की राशि रू. 60,000/- में वृद्धि होगी। अगर कोई कर्मचारी एक बार उच्च वर्ग में आ जाता है और बाद में अगर किन्ही कारणों से वह पुनः नीचे के समूह में आ जाता है तो भी उसका मासिक अंशदान और कल्याण लाभांश की राशि की दर वही रहेगी।सदस्यता शुल्क की वसूली महीने के वेतन बिल से अर्थात जनवरी के वेतन से शुरू होगी। इसकी कटौती जनवरी महीने के आखिरी कार्य दिवस को देय वेतन से होगी।

अंशदान सेवा के अंतिम महीने तक अर्थात जिस माह में कर्मचारी सेवानिवृत हो रहा है/त्यागपत्र दिया है/मृत्यु हो जाती है, तब तक देय है। यदि सदस्यता की वसूली से पहले महीने के दौरान एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उनकी बकाया राशि में से उस माह का सदस्यता शुल्क घटाने के बाद भुगतान किया जाएगा।

5. सदस्यता की बकाया राशि पर ब्याज:-

अगर कोई कर्मचारी असाधारण छट्टी पर है तो उसके अंशदान की बकाया राशि की वसूली कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के माह के वेतन से सदस्यता शुल्क ब्याज की राशि के साथ अधिक से अधिक तीन किश्तों में वसूल किया जाएगा। अगर असाधारण छुट्टी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सदस्यता की बकाया राशि उसे इस योजना के अंतर्गत देय राशि में से प्रतिवर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

अगर वेतन के भुगतान में देरी के कारण सदस्यता शुल्क बकाया हो तो उस पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा।

6. देय लाभ

(क) सेवानिवृति, त्यागपत्र इत्यादि पर कर्मचारियों को हितलाभ की तालिका के अनुसार लाभ अदा किए जाएंगे (संलग्नक 1 में दी गई समापन भुगतान तालिका के अनुसार)

I. न्यूनतम समूह में सदस्यता की समग्र अवधि के लिए बचत फंड में से उसे एक मुश्त देय राशि और

II. पदोन्नति होने पर वृद्धि किए गए अंशदान द्वारा अतिरिक्त यूनिटों के लिए उन्हें देय राशि- जिस अवधि से दर में वृद्धि की गई थी उस अवधि से लेकर सदस्यता समाप्ति की तिथि तक

(ख) सेवा के दौरान मृत्यु होने पर:

नामिती/उत्तराधिकारी को निम्न का भुगतान किया जाएगा :

(1) मृत्यु के समय कर्मचारी की हकदारी के अनुसार 'कल्याण' के अंतर्गत कवर होने वाली समुचित राशि

(2) उपर्युक्त (क) के मामले में एक मुश्त राशि मृत्यु होने की अवधि तक

(3) सदस्य बनने से पहले ही निधन होने पर केवल 'कल्याण' के अंतर्गत कवर होने वाली राशि

7. आयकर में छूट

इस योजना के अंतर्गत अदा किए गए अंशदान की अदायगी के लिए आयकर छूट देय नहीं है।

8. नामांकन

कर्मचारी द्वारा नामांकन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर सेवापुस्तिका में चिपकाया जाना चाहिए और इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाए। यदि कर्मचारी का परिवार है तो उसे नामांकन केवल अपने परिवार या परिवार के सदस्यों के पक्ष में ही होना चाहिए।

सेवापुस्तिका में वसूलियों की प्रविष्टि की जाएगी प्रत्येक वर्ष के जनवरी महीने मे सेवापुस्तिका में कार्यालय प्रमुख द्वारा निम्नवत रिकार्ड किया जाएगा यथा :

"जनवरी-दिसंबर-तक की अवधि के लिए वेतन एवं भत्ते से ग्रुप.... से उचित राशि की दर पर अंशदान की वसूली कर ली गई है।"

9. विद्यालय से हितलाभ वसूली कार्य

इस योजना के अंतर्गत देय राशि को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत देय राशि से अन्य कोई वसूली नहीं की जाएगी जबतक कर्मचारी द्वारा विशेष रुप से वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया हो। कानूनन इस योजना में से कर्मचारी या उसके नामिती द्वारा देय किसी भी भुगतान के बदले में राशि को समायोजित करने के लिए संगठन को अनुमति नहीं है।

10. रख-रखाव एवं लेखाकरण

इस योजना के अंतर्गत मासिक वेतन बिलों से वसूल की गई राशि को केंद्रीय विद्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय चैक या ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यालय नहीं भेजेगें। परंतु यह राशि निर्मुक्त निधियों के एवज में अपने पास रखी जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से निधियों को जारी करते समय मुख्य खाते द्वारा इन वसूली योग्य राशियों को घटा दिया जाएगा।

11. विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत दावा निपटान-तंत्र

सहायक आयुक्त निधियों की मांग के लिए प्रत्येक तिमाही में मुख्यालय को विवरण भेजेगें यथा जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में अगली तिमाही में संभावित सेवानिवृत्त कर्मियों के संबंध में सेवा समाप्ति की तालिका के आधार पर समय-समय पर उपलब्ध करवाए अनुसार (संलग्नक-1 के अनुसार) यह मांग एक विवरणिका के रुप में दर्शायी जाए जिसमें सेवानिवृत्त के ग्रुप/सेवानिवृति की तिथि/यदि सेवानिवृत्ति तक सभी अंशदान की वसूली कर ली गई हो/ अंशदान दर एवं किस योजना के अंतर्गत संबंधित कवर होते है, इत्यादि का पूर्ण उल्लेख किया गयो हो।

12. इस योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी

(क) क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारी (शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ) तथा प्राचार्य उप प्राचार्य और क्षेत्रीय कार्यालयों के शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त स्तर के लिए उपायुक्त समक्ष प्राधिकारी होंगे।

(ख) केविसं (मु.) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तथा विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के लिए वरिष्ठ लेखापरीक्षा एवं लेखाधिकारी, सहायक आयुक्त (प्रशासन एवं वित्त) तथा उपायुक्त (वित्त) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

13. निधियों के लिए लेखाकरण

(क) **"केविसं कर्मचारी कल्याण फंड"**, नामक बचत बैंक खाता अलग से क्षेत्रीय कार्यालय- केनरा बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीकृत बैंक में सहायक आयुक्त अथवा लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से प्रचालित किया जाए।

(ख) इन निधियों के लिए अलग से कैशबुक रखी जाए।

(ग) प्रतिवर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्तूबर में निधियों की तिमाही मांग के साथ लेखा की तिमाही विवरणिका (प्राप्ति एवं भुगतान) प्रस्तुत की जाएगी>

(घ) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को ₹ 1.5 लाख अग्रदाय (Imprest) राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी अंशदाता के निधन पर अग्रदाय राशि में से कल्याण कवर के अंतर्गत आने वाली राशि अंशदाता के नामिती को 24 घंटे के भीतर अदा की जाएगी और उसके पश्चात इस राशि का पुनर्पोषण केविसं (मु.) से मांग करके पूरा किया जा सकता है।

(ड़) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) केविसं (मु.) स्तर पर समेकन हेतु केविसं (मु.) में प्रस्तुत कर दिए जाएं।

14. मुख्यालय स्तर पर लेखाकरण प्रबंधन

(क) इस योजना के अंतर्गत सकल अभिवृद्धि का 1/12 नगदी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निपटान हेतु पेंशन एवं बीमा अनुभाग में पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक समेकित विवरणिका में दिए गए आँकड़ो के आधार पर प्रस्तुत किए जाऐगा जैसाकि उत्तरवर्ती वर्ष के समायोजन हेतु किया जा रहा है।

(ख) केविसं (मु.) के पास उपलब्ध विद्यमान निधि सहित **जी एल आई एस योजना** के अंतर्गत प्राप्त सरेन्डर वैल्यू का प्रचालन कर्मचारी कल्याण योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा।

(ग) समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में वार्षिक लेखाओं का समेकन प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा।

15. निवेश

निवेश,भविष्य निधि निवेश योजना के लिए समय-समय पर निर्धारित पैट्रन के अनुसार केविसं (मु.) स्तर पर किया जाएगा।

इस योजना से संबंधित अन्य मामलों पर निर्णय समय-समय पर केविसं द्वारा किया जाएगा।

<u>उदाहरण (1)</u>

मान लीजिए, श्री 'ए' केविसं के वर्ग 'ए' के कर्मचारी हैं और वर्ष 1993 से केविसं समूह बीमा योजना सदस्य है और दिनांक 01.04.2002 से केविसं कल्याण योजना के भी सदस्य हैं और वेतनमान रू. 10000-15200 में मूल वेतन ₹ 12,600 पा रहे हैं और दिनांक30.04.2002 को उनकी मृत्यु हो जाती है तो केविसं कल्याण योजनाके अंतर्गत उनको देय लाभांश की प्रात्रता इस प्रकार होगी:-

दिनांक 01/1/1993 से 30/4/2002 की अवधि के लिए

प्रति रू 15 के लिए	= ₹. 2100.00
उसके उपरांत ₹.120/-	= ₹. 2100X8 = ₹.16800.00
(i) कल्याण लाभांश कवर	₹.1, 20,000.00
(ii)बचत पोर्शन	₹. 16,800.00

(समाप्ति तालिका के अनुसार लाभ)

वर्ग 'ए' में श्री 'ए' को कुल देय राशि ₹ 1,36,800.00 होगी। ('एक्स')

उदाहरण (2)

उपर्युक्त उदाहरण 1 के अनुसार, यदि कर्मचारी 30.04.2022 को सेवा निवृत्त होता है तो देय लाभांश इस प्रकार होंगे:-

दिनांक 01/1/1993 से 30/4/2002 की अवधि के लिए

प्रति ₹ 15 के लिए = ₹. 2100.00

उसके उपरांत ₹.120/- = ₹. 2100X8 = ₹.16800.00

(i) कल्याण लाभांश कवर ₹. शून्य

(ii)बचत पोर्शन ₹. 16,800.00

(ऊपर दर्शाए अनुसार) ₹. 16,800.00

श्री 'ए' को कुल देय राशि = ₹ 16,800.00 ('एक्स')

उदाहरण (3)

श्री 'एक्स' दिनांक 1.1.1993 से इस योजना के सदस्य हैं। वे दिनांक 01.01.1983 को सहायक के पद पर थे और दिनांक 01/09/1995 को उनकी अधीक्षक के पद पर (वर्ग'बी') पर पदोन्नति हुई और दिनांक 01.11.1998 से प्रशासनिक अधिकारी (वर्ग'ए') के पद पर चयन हुआ और दिनांक 31.05.2002 को सेवा निवृत्त हुए। श्री 'एक्स'की सेवानिवृत्ति पर उनको देय राशि की गणना करें।

दिनांक 1.1.1993 से 31.05.2002 की अवधि के लिए

(i) कल्याण लाभांश कवर शून्य

(ii)बचत पोर्शन

(अ) दिनांक 1.1.1993 से 31.05.2002 ₹.2127X2 = 4254.00
(वर्ग 'सी') @ ₹.30.00

(ब) दिनांक 1.1.1993 से 31.05.2002 ₹.1182X2 = 2364.00
(वर्ग 'बी') @ ₹.60.00

(स) दिनांक 1.1.1993 से 31.05.2002 ₹. 519X4 = 2076.00
(वर्ग 'ए') @ ₹.120.00

₹. = 8694.00

श्री 'एक्स' को कुल देय राशि : Rs.8,694.00

उदाहरण 4

श्री क वर्ग 'घ' कर्मचारी 1.6.1998 को नियुक्त हुए थे और 5.11.1998 को अपराह्न में उनका निधन हो गया। इस योजना के अंतर्गत उन्हें देय राशि की गणना करें।

अवधि 11.06.1998 से 5.11.1998

(1)	कल्याण कवर	₹ 15,000/-
(2)	बचत अंश	₹ शून्य

(जून 1998 से 5.11.1998 तक अंशदान की वसूली के उपरांत) ₹ 15,000/-

श्री 'क' को देय कुल राशि = ₹ 15,000/-

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एवं समय-समय पर लागू दर के तहत तथा सभी स्रोतों पर आयकर की कटौती की शर्तो के अनुसार यह भुगतान हो सकेगा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन
18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110 016.

फा.सं.1-4(01)/2001-2002/केविसं ईडब्ल्यूएस/ पीएंड आई/ दिनांक: 19.04.2010

सहायक आयुक्त/निदेशक,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/जैडआईईटी,
केंद्रीय विद्यालय संगठन ।

विषय: समूहों के वर्गीकरण के फलस्वरुप 01.01.2006 से प्रभावी केविसं के कर्मचारियों से केविसं ईडब्ल्यूएस अंशदान की कटौती

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के दिनांक 16.09.2009 के पत्र संख्या 11029-18/2009-केविसं(प्रशा.1) के अनुक्रम में अनुरोध है कि 1.1.2006 कि स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवा में सभी नियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार केविसं ईडब्ल्यूएस अंशदान की कटौती करने का कष्ट करें:-

क्र.सं.	पद का विवरण	पद का वर्गीकरण	मासिक अभिदान की दर	कल्याण लाभांश राशि
01	02	03	04	05
1.क	स्केल (रु.90000/निर्धारित) शीर्ष स्केल (रु:80000/-निर्धारित) एवं ग्रेड प्लस स्केल (रु.75500-80000)	वर्ग (ए)	रु.120.00	रु.120000.000
ख.	पे बैंड -4 के अंतर्गत रु.37400/---67000/-के वेतनमान में रु.12000/-, रु.10000/-,रु.8900/- एवं रु.8700/- एवं पे बैंड-3 में रु.15600/-39100 के वेतनमान में र.7600/-,रु.6600/-एवं रु.5400/-	वर्ग (ए)	रु.120.00	रु.120000.000
02	पे बैंड-2 में रु.9300/-34000 के वेतनमान में रु.5400/-, रु.4800/- एवं रु.4200/-	वर्ग (बी)	रु.60.00	रु.60000.00
03	पे बैंड-1 में वेतनमान 5200/--23000/- में रु.2800/-.रु.2400/-, रु.2000/-, रु.1900/- एवं रु.1800/-	वर्ग (सी)	रु.30.00	रु.30000.00
04	आईएस स्केल में रु.4440/-7440/- के वेतनमान में रु.1300/-,रु.1400/-रु.1600/- रु.1650/-	वर्ग (डी)	रु.15.00	रु.15000.00 (पदों के उन्नयन होने तक)

कृपया अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ सभी केंद्रीय विद्यालयों में इस पत्र को परिचालित करते हुए उनसे अनुरोध करें कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी 9.4.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं.11012/7/2008 स्था.(2) में दिए अनुसार ग्रुप के पुन:वर्गीकरण के आधार पर 1.1.2006 से केविसं ईडब्ल्यूएस के अंशदान की वसूली करें।

कृपया यह भी नोट करें कि क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के संबंध में आपके द्वारा सभी वसूलियां कर ली जाए।

इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व निपटान हो चुके मामलों को पुन: न खोला जाए।

भवदीय,

(एम.बी.पातकर)
सहायक आयुक्त(वित्त)

प्रतिलिपि:-1. ईडीपी सैल, केविसं(मु.) नई दिल्ली को केविसं की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2.केविसं(मु.) के सभी अनुभाग।

सहायक आयुक्त(वित्त)

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(P&I SECTION)

F. 1-4 (01)/2002/KVS-GIS/HQ/P&I **Date: - 01.03.2002**

SUBJECT: - KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN EMPLOYEES WELFARE SCHEME.

1. Introduction:

In order to provide a security to the employees of the Sangathan and at the same time enhancing their resources at the time of superannuation, K.V.S. has been having group insurance Scheme from time to time. The present Group Saving Linked Insurance Scheme was started in 1993 through LIC. After decentralization of Pension and Provident Fund work, it has been experienced that although Sangathan has been able to discharge other pensionary liabilities in time, the same is not possible in the matter of GIS due to delay in settlement of claims by LIC. Even in cases of death there have been delays which defeats the very purpose of having insurance. It has therefore, been decided to introduce w.e.f. 1st April, 2002, a new scheme called 'KVS EMPLOYEES WELFARE SCHEME'. It provides for the KVS employees at a low cost and on a wholly contributory and self-finance basis, the twin benefits of a welfare cover to help their families in the event of unfortunate death while in service and lump sum payment to augment their resources on retirement, resignation, etc. The benefit under the scheme would be akin with the benefits granted to Central Government Employees under CGEGIS, 1980.

2. Application:

All regular employees in the services of KVS as on 01/01/1993 and all those who have entered/enter into service of KVS thereafter will be compulsorily covered by the scheme. Employees would be enrolled as members of the Scheme only from 1st January every year. If an employee enters into service of the Sangathan on or after 2nd January in any year, he/she would be enrolled as a member only from 1st January of the next year. From the actual date of appointment to 31st December in the years of entry into service, the employee will be entitled only to welfare cover.

3. Monthly subscription and amount of Welfare cover:

The monthly contribution and the amount of Welfare Cover under the scheme would be as under:

Group to which the belongs	Rate of monthly Subscription	Amount of Welfare Cover employee
'A'	120	1,20,000.00
'B'	60	60,000.00
'C'	30	30,000.00
'D'	15	15,000.00

4. Promotion during the year & recovery of subscription for a month:

On regular promotion of a member to higher Group after 1st January in any year, his subscription will be raised only from the 1st January of the next year. As for example Group 'C' employee is promoted to Group 'B' in March in a year, his subscription and Welfare Cover will be Rs.30.00 P.M. and Rs.30,000.00 respectively till the end of December that year and will be raised to Rs.60.00 P.M. and Rs.60,000.00 respectively from January next. Once an employee is admitted to the higher group, his subscription and welfare cover will continue to be at the same rate, even if he is subsequently reverted to the lower group for any reason.

Recovery of subscription for a month will be affected from the pay for that month e.g. for January, it would be deducted from the pay for the month of January payable on the last working day of January and so on.

Subscription is payable till the end of service including the month in which an employee retires, dies, resigns, removed from service. If an employee dies during a month before recovery of subscription for that months, his dues will be paid after deducting the subscription.

5. Interest on arrears of subscription:

Arrears of subscription of an employee who was on extraordinary leave for any period will be recovered with interest due under the scheme from his salary for the month following the month in which he resumes duty in not more than three installments. If an employee dies while on extraordinary leave, the arrears of subscription due from him will be recovered with compound interest at 12% per annum rounded to the nearest whole rupee from the amount payable under the scheme.

No interest will be levied on the arrears if the non-recovery is due to delayed payment of salary.

6. Benefits payable:

(a) Retirement, resignation, etc.: The employee will be paid as per the Table of benefits (as per cessation Table given at Annexure-I)

  (i) Lumpsum due to him out of the Savings Fund for entire period of membership in the lowest group; and

  (ii) Amount(s) due to him for the additional units by which subscription was raised due to promotion – for the period from which the rate was raised, to the date of cessation of membership.

(b) Death while in service : The nominee/heir will be paid :-

  (i) The amount of appropriate Welfare Cover to which the employee was entitled at the time of death; and

(ii) Lumpsum and amount(s) as in the case of (a) above, for the period till the date of death;

(iii) Only the Welfare Cover, if death takes place before becoming a member.

7. Income tax rebate:

Income tax rebate is not admissible for the amount of subscriptions paid under the scheme.

8. Nomination:

Nomination will have to be obtained in the prescribed form and pasted on the Service Book of the employee, and an entry to that effect recorded in the Service Book. If the employee has a 'family', he shall make such nomination only in favour of member of members or his 'family'.

Entries for recoveries shall be made in the Service Book. Every year, in the month of January, head of office will be record a certificate in the Service Book in the form:

"Subscription at the rate of Rs.__________ appropriate to Group .... of the scheme recovered from pay and allowance for the period form January .... to December..............

9. Recovery form the benefit from the school:

No recovery from the amount payable under the scheme can be made except the dues under the scheme or as specifically authorized by the employee. It is legally not permissible to adjust other Sangathan dues against the payment due to the employee or his nominees from the scheme.

10. Management & Accounting :

The Kendriya Vidyalaya and Regional Office will not send to the Headquarters office cheques /draft in respect of the amounts deducted from the monthly pay bills under the Scheme but these amounts will be retained by them for appropriation against funds released to them. The amount recoverable in respect of these deductions will be reduced by the Main Account at the time of release of funds through Regional Officers.

11. Claim settlement mechanism under decentralized set up :

Assistant Commissioner shall furnish a quarterly requisition for funds to KVS (HQ.) (P&I Section) in advance in the first week of January, April, July & October each year in respect of prospective retirees during succeeding quarter based on ceasation table as may be provided from time to time. (Annexure-I) Requisition has to be supported by a statement showing details of retirees for whom requisition is made indicating Group/Date of Retirement/ if all

subscription recovered up to retirement/Rate of subscription and cover etc. (standard form shall follows).

12. **Competent authority for making payment under the scheme**:

(a) For all the members of staff working under the Region (teaching and non-teaching staff) including Principal/Vice-Principal and Regional Office Staff/Officer's upto the level of Education Officer the Assistant Commissioner will be the competent authority.

(b) For staff/officers of KVS (Hqrs.) including those working in KVS abroad. The Sr. Audit & Account Officer, Assistant Commissioner (Admn & Fin.) and Deputy Commissioner (Fin.) will be the competent authority.

13. **Accounting for Funds** :

(a) A separate Saving Bank A/C may be opened with KVS Employees Welfare Fund, Regional Office, ______________ A/c with Canara Bank or any other nationalized bank to be operated under the signature of Assistant Commissioner/Audit & Accounts Officer jointly.

(b) A separate cash book may be maintained for the fund.

(c) A quarterly statement of account (receipt & payment) be furnished along with quarterly requisition of fund in January, April, July, & October every year.

(d) An Imprest of Rs.1,50,000.00 shall be provided to each Regional Office. In case of death of a subscriber the amount towards 'Welfare Cover' shall be paid to the subscriber's nominee within 24 hours of receipt of intimation of death, out of the imprest and thereafter imprest can be recouped by requisitioning the amount from KVS (Hqrs.).

(e) Annual Accounts (Receipt & Payment) as on 31st March each year may be furnished to KVS (Hqrs.) for consolidation at KVS (Hqrs.) level.

14. **Management of Accounting at Hqrs. Level** :

(a) In order to ensure liquidity 1/12th of the total accretion under the scheme shall be placed at the disposal of Pension & Insurance Section based on figures in the Annual Consolidated Statement of Accounts of preceding year as was being done heretofore subject to adjustment with reference to the figure to that of succeeding year.

(b) Surrender value to be received under dispensed GLIS Scheme alongwith the existing fund already lying with KVS (Hqrs.) shall be operated under the head Employees Welfare Scheme.

(c) Annual Accounts in respect of all the Regional Office shall be consolidated at Hqrs. as on 31st March each year.

15. Investment :

Investment will be done at KVS (Hqrs.) level on the pattern prescribed from time to time for Provident Fund investment.

Other residuary matters relating to the scheme shall be decided as may be necessary from time to time, by the KVS.

Example (1)

Suppose, Mr. 'A' a Group 'A' KVS Employee, is a member of KVS Group Insurance Scheme Since 1993 and also member of KVS Welfare Scheme w.e.f. 01/4/2002 with basic pay of Rs.12,600.00 in the scale of Rs.10000-15200 and dies on 30/4/2002. The benefit admissible to him under the KVS Welfare Scheme would be as under :

Period for 01/1/1993 to 30/4/2002

For every Rs.15/- = Rs.2100.00

Therefore for Rs.120/- = Rs.2100X8 = Rs.16800.00

(i) Welfare Cover Rs.1,20,000.00

(ii) Saving portion Rs. 16,800.00

(Benefit as per Cessation Table)

Total amount payable to Mr. 'A' Group A would be Rs.1,36,800.00 ('X')

Example (2)

On the example as above 1 if employee retired on 30/04/2002, the benefits would be as under:

Period for 01/1/1993 to 30/4/2002

For every Rs.15/- = Rs.2100.00

Therefore for Rs.120/- = Rs.2100X8 = Rs.16800.00

(i) Welfare Cover Rs. NIL

(ii) Saving portion (as mentioned above) Rs. 16,800.00

Rs. 16,800.00

Amount payable to Mr. 'A' = Rs. 16,800.00 ('X')

Example (3)

Mr. 'X' is a member under the said scheme w.e.f. 01.1.1993. He was Assistant Group-C on 01.1.1983 and promoted to the post of Superintendent (Group-B) on 01/9/1995 and selected as Administrative Officer(Group 'A') w.e.f. 01/11/1988 and retired on 31/5/2002. Calculate the amount payable to Mr. 'X' on his retirement.

Period for 01/1/1993 to 31/5/2002

(i)	Welfare Cover	NIL
(ii)	Saving portion	
(a)	01/1/1993 to 31/5/2002 (Group 'C') @ Rs.30.00	Rs.2127X2 = 4254.00
(b)	01/1/1993 to 31/5/2002 (Group 'B') @ Rs.60.00	Rs.1182X2 = 2364.00
(c)	01/1/1993 to 31/5/2002 (Group 'A') @ Rs.120.00	Rs. 519X4 = 2076.00
		Rs. = 8694.00

Total amount payable to Mr. 'X' Rs.8,694.00

Example (4)

Mr. 'Y' Group "D" was appointed on 01/6/1998 and expired P.M. 05/11/1998. Calculate the amount payable to him under this scheme.

Period for 11/6/1998 to 05/11/1998

(i)	Welfare Cover	Rs.15,000.00
(ii)	Saving portion	NIL
	(even after recovery of - Subscription w.e.f. - June 1998 to 05/11/1998)	Rs.15,000.00

Total amount payable to Mr. 'Y' Rs.15,000.00(('X')

The payment are subject to deduction of Income Tax at source and as per Income Tax Act. 961 and as per rates applicable from time to time.

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 INSTITUTIONAL AREA
SHAHEED JEET SINGH MARG
NEW DELHI-110016

F. No. 1-4(01) /2001-2002/ KVS EWS /P&I   Date: - 19.04.2010

The Assistant Commissioner/Director,
All Regional Offices /ZIETs,
Kendriya Vidyalaya Sangathan

Subject: - Deduction of KVS EWS Subscription from KVS employees w.e.f. 01.01.2006 consequent on classification of Groups.

Sir / Madam,

In continuation to this office letter No. 11029-18/2009-KVS (Admn -1) dated 16.09.2009 you are requested to make deduction of subscription towards KVS EWS in respect of all regular employees in the service of KVS as on 01.01.2006, as under :-

S. NO.	DESCRIPTION OF POST	Classification of Post	Rate of Monthly Subscription	Amount of Welfare Cover
01	02	03	04	05
1.a.	Scale (Rs.90000/-fixed) Apex Scale (Rs.80000/- fixed) and grade plus scale (Rs. 75500-80000)	Group (A)	Rs. 120.00	Rs.120000.000
b.	Rs.12000/-,Rs.10000/-,Rs.8900/- and Rs.8700/-in the scale of pay of Rs. 37400/- - 67000/- in pay Band -4 And Rs.7600/-,Rs.6600/- and Rs.5400/- in the scale of pay of Rs.15600/- 39100/- in pay Band -3	Group (A)	Rs 120.00	Rs. 120000.00
02	Rs.5400/-, Rs.4800/-, Rs4600/-, and Rs. 4200/-in the scale of pay Rs.9300/- -34800/- in pay Band -2	Group (B)	Rs. 60.00	Rs.60000.00
03	Rs 2800/-, Rs.2400/-, Rs. 2000/- Rs.1900/- and Rs. 1800/- in the scale of pay of Rs. 5200/- - 20300/-in pay Band-1	Group (C)	Rs. 30.00	Rs. 30000.00
04	Rs 1300/-, Rs.1400/-, Rs. 1600/- Rs. 1650/- in the scale of pay Rs. 4440/- 7440/- in IS scale	Group (D)	Rs.15.00	Rs.15000.00 (till the posts are upgraded)

The contents of this letter may please be circulated among all K.Vs of your Region requesting them to make the recoveries of subscription of KVS EWS due from 01.01.2006 based on the above reclassification of Groups as contained in O.M. No.11012/7/2008-Esstt (A) dated

09.04.2009 issued by the Ministry of Personnel Public Grievance and Pension, Department of Personnel and Training, Government of India New Delhi.

Please note that recoveries are also to be affected by you in respect of the employees of Regional office.

Cases settled before the issue of the circular need not be re-opened.

Yours faithfully,

(M.V.PATKAR)
Assistant Commissioner (Finance)

Copy to: -

1. EDP Cell, KVS (HQ.), New Delhi - for uploading this letter on the website of KVS.
2. All Section at KVS (HQ.), New Delhi.

Assistant Commissioner (Finance)